अवमाननावाद सुनवाई दिनांक-12.07.2016

संख्या-132/2016/आर-3002/26-3-2016-11(रिट)/2016

प्रेषक,

मुनीन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 जुलाई 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-6661/2015 विश्वेश्वरैया इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-6662/2015 विश्वेश्वरैया आफ इन्स्टीट्यूट इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-6812/2015 विश्वेश्वरैया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंज बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-04-11-2015 एवं दिनांक-06-11-2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-791/सक/शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-29 जून 2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-04-11-2015/06-11-2015 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्थाओं में वर्ष 2013-14 में अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की कुल देय धनराशि रूपया-103.8404 लाख **(रूपया एक करोड़ तीन लाख चौरासी हजार चालीस मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था का प्रत्यावेदन सकारण रूप से दर्शित करते हुये निदेशक, समाज कल्याण (प्रतिपक्षी नं0-2) के स्तर से निस्तारित किया जाना है। अतएव निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था का प्रत्यावेदन स्वमुखरित रूप से निदेशालय स्तर से निस्तारित कराते हुये वाद में सुनवाई की निर्धारित तिथि दिनांक-12-07-2016 को मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746-दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मुनीन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in